He Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਜਂ. 245] No. 245]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 30, 2007/ज्येष्ठ 9, 1929

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 30, 2007/JYAISTHA 9, 1929

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(मुद्रा प्रबंध अनुभाग)

भारतीय रिजर्व बैंक

विदेशी मुदा विभाग

केन्द्रीय कार्यालय

अधिसूचना -

मुम्बई, 15 मई, 2007

सं. फेमा. 152/2007-आरबी

विदेशी मुद्रा प्रबंध (परिसम्पत्तियों का विप्रेषण) (संशोधन) विनियमावली, 2007

सा.का.नि. 400 (अ)—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बँक, विदेशी मुद्रा प्रबंध (परिसम्पत्तियों का विप्रेषण) विनियमावली, 2000 (दिनांक मई 3, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 13/2000-आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(i) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (परिसंपत्तियों का विप्रेषण) (संशोधन) विनियमावली, 2007 कहलांग्रो।

- (ii) ये नवबर 16, 2006 से लागू होंगे। @
- 2. विनियमावली में संशोधन.-विदेशी मुद्रा प्रबंध (परिसंपत्तियों का विप्रेषण) विनियमावली, 2000 में
 - अ. विनियम 4 में
 - (क) उप-विनियम 2 में खण्ड (iii) में,
 - (i) ''कैलेंडर'' शब्द के लिए ''वित्तीय'' शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।
 - (ii) उप-खण्ड (ख) को निम्निलिखित उप-खण्ड से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

''प्रेषक द्वारा एक वचन पत्र और प्रत्यक्ष कर केन्द्रीय बोर्ड, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अक्तूबर 9, 2002 के उनके परिपत्र सं. 10/2002 में निर्धारित फार्मेट में किसी सनदी लेखाकार से 'प्राप्त प्रमाणपत्र।''

- (ख) उप-विनियम (3) में,
 - (i) ''कैलेंडर'' शब्द के लिए ''वित्तीय'' शब्द को प्रतिस्थापित किया जाएगा।
 - (ii) खण्ड (i) में, उप-खण्ड (ख) को निम्निलिखत नये उप-खण्ड द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, :
 - ''प्रेषक द्वारा एक वचन पत्र और प्रत्यक्ष कर केन्द्रीय बोर्ड, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अक्तूबर 9, 2002 के उनके परिपत्र सं. 10/2002 में निर्धारित फार्मेट में किसी सनदी लेखाकार से प्राप्त प्रमाणपत्र।''
 - (iii) खण्ड (ii) में, उप-खण्ड (ख) को निम्निखित उप-खण्ड से प्रतिस्थपित किया जाएगा, अर्थात्, "प्रेषक द्वारा एक वचन पत्र और प्रत्यक्ष कर केन्द्रीय बोर्ड, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अक्तूबर 9, 2002 के उनके परिपत्र सं. 10/2002 में निर्धारित फार्मेट में किसी सनदी लेखाकार से प्राप्त प्रमाणपत्र।"
 - (iv) प्रथम परंतुक को हटा दिया जाएगा।
 - (v) द्वितीय परंतुक में शब्द ''अलावा'' हो हटा दिया जाएगा।

आ. विनियम 6 में उप-विनियम 1 में,

(क) खण्ड (i) में, ''कैलेंडर'' शब्द के लिए ''वित्तीय'' शब्द को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. 1/23/ईएम/2000 खण्ड IV]

सलीम गंगाधरन, मुख्य महाप्रबंधक

@ अभिप्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना के लागू होने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

पाद टिप्पणी : मूल विनियमावली सरकारी राजपत्र में दिनांक मई 5, 2000 के सं. सा.का.नि. 396(अ) में भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किए गए और तत्पश्चात्

सं. सा.का.नि. 576(अ) दिनांक 19-8-2002,

सं. सा.का.नि. 630(अ) दिनांक 4-8-2003,

सं. सा.का.नि. 699(अ) दिनांक 1-9-2003, और

सं. सा.का.नि. 493(अ) दिनांक 4-8-2004 द्वारा संशोधित किये गये।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(EXCHANGE MANAGEMENT SECTION)

RESERVE BANK OF INDIA

Foreign Exchange Department Central Office

NOTIFICATION

Mumbai, the 15th May, 2007

No. FEMA. 152/2007-RB

Foreign Exchange Management (Remittance of Assets) (Amendment) Regulations, 2007

G.S.R. 400 (F).—In exercise of the powers conferred by Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Remittance of Assets) Regulations, 2000 (Notification No. FEMA. 13/2000-RB dated 3rd May, 2000), namely:—

- 1. Short Title and Commencement.—(i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Remittance of Assets) (Amendment) Regulations, 2007.
- (ii) They shall come into force with effect from November 16, 2006. @
- 2. Amendment to the Regulations.—In the Foreign Exchange Management (Remittance of Assets) Regulations, 2000
 - A. In Regulation 4,
 - (a) in sub-regulation 2, in clause (iii),
 - (i) for the word 'calendar', the word 'financial' shall be substituted.

- (ii) sub-clause (b) shall be substituted by the following sub-clause, namely,:
 - "an undertaking by the remitter and certificate from a Chartered Accountant in the format prescribed by the Central Board of Direct Taxes, Ministry of Finance, Government of India in their Circular No. 10/2002 dated October 9, 2002."
- (b, in sub-regulation (3),
 - (i) for the word 'calendar', the word 'financial' shall be substituted.
 - (ii) in clause (i) sub-clause (b) shall be substituted by the following new sub-clause, namely,:
 - "an undertaking by the remitter and certificate from a Chartered Accountant in the format prescribed by the Central Board of Direct Taxes, Ministry of Finance, Government of India in their Circular No. 10/2002 dated October 9, 2002."
 - (iii) in clause (ii), sub-clause (b) shall be substituted by the following sub-clause, namely,:
 - "an undertaking by the remitter and certificate from a Chartered Accountant in the format prescribed by the Central Board of Direct Taxes, Ministry of Finance, Government of India in their Circular No. 10/2002 dated October 9, 2002."
 - (iv) the first proviso shall be omitted.
 - (v) in the second proviso, the word 'further' shall be omitted.
- B. In Regulation 6, in Sub-regulation 1,
 - (a) in clause (i), for word 'calendar', the word 'financial' shall be substituted.

[F. No. 1/23/EM/2000 Vol. IV]

SALIM GANGADHARAN, Chief General Manager @ Certified that no person shall be adversely affected by the retrospective effect given to such Regulations.

Foot Note: The Principal Regulations were published in the Official Gazette *vide* No. G.S.R. 396(E) dated May 5, 2000 in Part II, Section 3, Sub-section (i) and subsequently amended *vide*.

No. G.S.R. 576 (E) dated 19-8-2002,

No. G.S.R. 630 (E) dated 4-8-2003,

No. G.S.R. 699 (E) dated 1-9-2003 and

No. G.S.R. 493 (E) dated 4-8-2004